ग्राम पंचायत मालनू, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग–एक

1 (क) प्रस्तावनाः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवम उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-H(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मालनू, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति रमा पटियाल	1.4.2013 से 22.1.16
2	श्री नवजीवन शर्मा	23.1.2016 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सन्तोष कुमार	1.4.13 से 21.10.13
2	श्री हरीश रणौत	22.10.13 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत मालनू के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	बैंक खातों का रोकड़ बही से मिलान न करना	–
2	7	अनुदानों का उपयोग न करना	4.64
3	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय करना	0.29
4	11	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करना	0.08

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत मालनू, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा

दिनांक 17.10.16 से 22.10.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न माहों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	2/2014	7/2013
2014–15	6/2014	12/2014
2015–16	3/2016	5/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख पर आधारित है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी सूचना के गलत/अपूर्ण व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत मालनू, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। इस राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 001 दिनांक 22.10.16 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत मालनू, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) स्वः स्त्रोतः–

ग्राम पंचायत मालनू के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वित्तीय वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	94850	16733	111583	36229	75354
2014–15	75354	14163	89517	54819	34698
2015–16	34698	24170	58868	52047	6821

(ख) अनुदानः–

ग्राम पंचायत मालनू के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण, संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वित्तीय वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	100203	1481384	1581587	1374919	206668
2014–15	206668	1350832	1557500	1170401	387099
2015–16	387099	1918835	2305934	1841520	464414

4.1 बैंक समाधान विवरणः–

1	स्वः स्त्रोत रोकड़ बही का दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष	₹6821
2	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष	₹464414
	कुल योग	**₹471235**
	दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि का विवरण	
1	Manrega खाता	शून्य
2	खाता संख्या 20093004097 (KCCB Bhawarna)	926257
3	खाता संख्या 50056382254 (KCCB-Bhawarna)	1086
	कुल योग	**₹927343**
	अन्तर	**₹456108**

अन्तर का कारणः– दिनांक 1.3.2016 को खाता संख्या 20093004097 में चौदहवें वित्त आयोग का अनुदान ₹456108 सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जमा करवाया गया। प्राप्त अनुदान की प्रविष्टि रोकड़ बही में दिनांक 19.9.2016 को की गई है

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही तथा बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, सकंर्म, कराधान तथा भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) तथा 10 (1) के विरूद्ध होते हुए अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण देते हुए रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 निर्धारित सीमा से अधिक नगद राशि रखनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मास के दौरान स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय से फुटकर व्यय करके शेष राशि को माह के अन्त में बैंक में जमा करवाया जाता है जिसका विवरण निम्न हैः–

	माह	माह के दौरान प्राप्त कुल राशि	माह की अन्तिम तिथि को जमा करवाई राशि
(क)	6/2014	9975	7465
(ख)	3/2016	15532	13100

अतः नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते नियम 10 (3) के प्रतिकूल होते हुए अनियमित तथा आपत्ति जनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. बजट प्राकलन तैयार न करना :–

हि0 प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–II में पंचायत आय व व्यय के प्राकंलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकंलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकंलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकंलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकंलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. अनुदान ₹4.64 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1"** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 मे अनुदान ₹464414 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹4590 का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से अर्जित आय का, उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर ₹4590 की वसूली शेष थी **(संलग्न परिशिष्ट 3)**। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसकी अतिशीघ्र वसूली की जाये।

9 पंचायत सदस्यों को मानदेय का अनियमित भुगतान

व्यय के अंकेक्षण हेतु चयनित मास 7/2013 के वाउचर संख्या 56 ₹32050 की जाँच करने पर पाया गया कि माह 9/12 से 3/2013 तक की अवधि के सदस्यों के मानदेय का भुगतान, निर्धारित दर ₹175 प्रति बैठक की दर से न करते हुए ₹350 प्रति माह प्रति सदस्य की दर से किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य में कार्यवाही रजिस्टरों के अनुसार सभी सदस्यों की उपस्थिति को देखते हुए मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाये तथा यदि किसी सदस्य को उक्त अनुसार अधिक भुगतान हुआ है तो विभागीय स्तर पर इसकी गणना करते हुए वसूली सुनिश्चित की जाये।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही सामग्री क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कर व भत्ते) नियम–2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा सामग्री का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित हैं, परन्तु चयनित मासों के व्यय अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न खरीद औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही क्रय किया गया।

क्र0सं0	वा0सं0	आपूर्तिकार का नाम तथा बिल	बिल सं0	विवरण
1	14 माह 7/13	श्री यशवीर जम्बाल	14 दिनांक 2.5.13	(i) 500 cft रेत @ ₹20=10000 (ii) 6500 cft बोल्डर =117000 @18 कुल 21700
2	18 माह 7/13	मै0 सिन्दो एण्टरप्राईजिज	1507 दिनांक 12.3.13 ₹7368	पैन्टर तथा डिसटैम्पर

अतः सामग्री का नियमानुसार क्रय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11 क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करनाः–

चयनित माह 5/2015 के व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 35 के अन्तर्गत, मै0 सिन्दो एण्टर प्राईजिज से उनके बिल संख्या 132 दिनांक शून्य ₹8241 द्वारा खरीदे गए पैटिंग सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई है और न ही उपयोग सम्बन्धित अभिलेख तैयार किया गया था। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर	31	95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

13 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष

सत्यापन नहीं किया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

15 निष्कर्षः– लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 67/2016–खण्ड–1 –2148–2151 दिनाँकः 12.04.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत मालनू, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881